first-served basis, then, I think, that would help? Another thing is, Sir, at the time of the departure of the flight, the fares are increased by 400 per cent. You can allow them to increase the fares as per the demand but it should not be abnormal. So, at least, fix a ceiling. Sometimes, it is Rs. 4,000 and it goes up to Rs. 16,000 and Rs. 18,000 for a smaller sector, and people who are in a hurry and who are in a distress face a lot of trouble. Therefore, I would like to know from the Minister...

MR. CHAIRMAN: Right. It is a suggestion. ...*(Interruptions)*... It is a suggestion for action.

SHRI TIRUCHI SIVA: The Ministry should intervene to fix a ceiling so that it should not increase by 200 per cent or something like that.

MR. CHAIRMAN: It is a suggestion for action.

Crimes against SCs/STs

*3. SHRI SHAMSHER SINGH DULLO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether crimes against persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have increased during the last four years;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the total number of cases of crimes that were reported and registered against persons who committed such crimes; and

(d) whether legal protection is provided to victims and families of these communities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HANSRAJ GANGARAM AHIR): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the House.

(a) to (c) No Sir, the data does not show any such trend. As per the latest available published information with National Crime Records Bureau (NCRB), the data with respect to cases registered in crimes against persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes from 2013-16 is as under:

Years	2013	2014	2015	2016
Scheduled Castes	39,408	40,401	38,670	40,801
Scheduled Tribes	6,793	6,827	6,276	6,568

(d) Section 15A of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act {PoA} 1989, as amended, specifies that it shall be the duty and responsibility of the State to make arrangements for the protection of victims, their dependents, and witnesses against any kind of intimidation or coercion or inducement or violence or threats of violence.

As regards legal protection, for speedy trial of the PoA Act related cases in courts, Section 14 of the PoA Act, *inter alia,* provides for establishing an Exclusive Special Court for one or more Districts by the concerned State/Union Territory, with concurrence of the Chief Justice of the High Court. However, in districts with lesser number of cases under this Act, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the official gazette, specify for such districts, the Court of Session to be a Special Court. Further, Section 15 of the PoA Act provides for specifying Special Public Prosecutor and Exclusive Special Public Prosecutor for conduct of cases in Special Courts and Exclusive Special Courts respectively.

श्री शमशेर सिंह ढुलोः सर, प्रश्न के उत्तर में जो फिगर्स मंत्री जी ने बताए हैं, वे मेरे प्रश्न के अनुसार नहीं बताए गए हैं, क्योंकि मैंने पांच साल का ब्यौरा मांगा था, लेकिन मुझे सिर्फ चार साल का ब्यौरा ही दिया गया है। एक साल वर्ष 2017-18 का ब्यौरा नहीं दिया गया है। जहां तक शेड्यूल्ड् ट्राइब्स के ऊपर एट्रोसिटीज़ और क्राइम की बात है, उसके बारे में आप देखें और देश भर के अखबारों में भी आया है कि सरकारों ने जो ऑथेंटिक फिगर्स दी हैं और पिछले सैशन में आपने जवाब भी दिए हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि कहां-कहां पर धर्म के नाम पर सरकारें चलाई जा रही हैं, फिर चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप कृपया सवाल पूछिए।

श्री शमशेर सिंह ढुलोः सर, इन राज्यों में शेड्यूल्ड कास्ट्स के खिलाफ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, फिर चाहे रेप के केस हों, चाहे एट्रोसिटीज़ की बात हो, मर्डर के केसेज़ हों या डिफरेंट टाइप के केसेज, फिर चाहे वे रिलीजियस मामले हों, ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यह बात, इन्होंने जो फिगर्स वर्ष 2016 की दी हैं, मैं उनके आधार पर कह रहा हूं।

सर, वर्ष 1989 में स्पेशल कोर्ट की अमेंडमेंट हुई और उसकी बात भी कही गई, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के ऐसे बहुत से मामले हैं, जो रजिस्टर ही नहीं किए जाते हैं। मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल हो गए ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please ask the question. ...*(Interruptions)*...

श्री शमशेर सिंह ढुलोः सर, 70 सालों में आप देखेंगे कि शेड्यूल्ड कॉस्ट्स पर ज्यादतियां, मुकदमे, उनके खिलाफ रेप के केस, लड़कियों को उठाए जाने और किडनैप किए जाने आदि के केसेज़ बढ़ते ही जा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please ask the question. ...*(Interruptions)*...

श्री शमशेर सिंह ढुलो: सर, जहां-जहां धर्म के नाम पर सरकारें चलाने की बात है और उसमें भी सबसे पहले तो गुजरात को देखें ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यदि आपको इस बारे में भाषण देना है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी। ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी इस बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री शमशेर सिंह ढुलो: सर, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार ने क्या रणनीति बनाई है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please don't deviate from the main question. ...*(Interruptions)*... And let us not make comments. Get the answer.

श्री शमशेर सिंह ढुलो: सभापति जी, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं। स्टेट्स में, जहां श्री राम के नाम से ...(**व्यवधान**)... जहां राम राज्य की बात करते हैं ...(**व्यवधान**)... वहां इतने जुल्म हो रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं उसकी बात कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं, नहीं, यहां पर राम जी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वह क्वेश्चन नहीं है। आप राम कहेंगे, कोई रहीम कहेगा, कोई करीम कहेगा, कोई और कुछ कहेगा, उस पर unnecessary विवाद होगा, इसलिए इसमें क्यों पड़ना है? यह विषय वह नहीं है। विषय है is, atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That is the issue, serious issue. If you divert it, then you are not doing justice.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर: सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या इन पर होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है? NCRB के माध्यम से हमारे पास डेटा उपलब्ध है। यह पद्धति है कि केवल चार साल का ही डेटा दिया जाता है, इसलिए हमारे पास 2017 तक को डेटा अभी आना है। एनसीआरबी समय पर डेटा देता है। अभी इसमें 2013 से लेकर 2016 तक का जो डेटा दिया है, उसमें अनुसूचित जाति वर्ग पर होने वाले अपराधों में वृद्धि होने की जो बात है, उस पर हमने न कहा है और यही सही है कि अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है। इसके साथ ही हमने अनुसूचित जनजाति वर्ग पर होने वाले अपराधों में भी वृद्धि नहीं होने की बात कही है। जो भी अपराध होते हैं, वे चाहे मर्डर के हों या और भी तरह के अपराध हों, जैसे आपने कहा है, छेड़खानी के अपराध या बलात्कार के अपराध हों, उन सारे अपराधों का इसमें इनपुट हैं, इन सारे अपराधों को मिलाकर यह डेटा दिया गया है। सरकार इसके प्रति काफी गंभीर है। आपने भी देखा है कि इसमें 2015 में इसी के चलते कुछ और अपराधों को जोड़ा है। पहले इसमें, एनसीआरबी में 22 अपराध गिने जाते थे, लेकिन अभी हमने इस Atrocities Act की कार्यवाही के अंदर और 25 अपराधों की बढ़ोत्तरी करके इसमें 47 अपराध जोड़ दिए हैं, ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग पर अन्याय न हो। सरकार इस तरीके से काम कर रही है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary question. Be specific.

श्री शमशेर सिंह ढुलो: सभापति जी, जहां तक कन्विक्शन का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि डिफरेंट स्टेट्स में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। जो पेंडिंग केसेज हैं, मैं आपको उनकी डिटेल देना

चाहता हूं। मेरे पास जानकारी है कि वहां पेंडिंग केसेज हैं। कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं। वे ट्रायल सालों से चल रहे हैं। वहां पर कई जिलों में तो स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया गया है, लेकिन स्पेशल कोर्ट भी नहीं बना है। एक तरफ तो हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125 जयंती मनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ शेड्यूल्ड कॉस्ट के लोगों पर atrocities बढ़ रही हैं।

MR. CHAIRMAN: Question, please.

श्री शमशेर सिंह ढुलो: अगर देश का * किसी मंदिर में माथा टेकने के लिए जाता है, तो उसकी एंट्री नहीं करने दी जाती है, सीटों पर बैठने ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: ठीक है, this is not going on record. * का नाम लिया है। वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: जहां * जैसे व्यक्ति, जो जब मंदिरों में जाते थे, उन मंदिरों को, मूर्तियों को गंगा जल से, दूध से नहलाया जाता है। ...**(व्यवधान)**... धर्म के नाम पर जो atrocities होती हैं, इनको तय करने के लिए ...**(व्यवधान)**... सरकार क्या कर रही है? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Now, the reply. ...*(Interruptions)*... This is not going on record. ...*(Interruptions)*... This has become a habit of some hon. Members to deviate and then make political comments which are not doing justice to the cause. This is how they have been deprived all these years. जो * वाला बोला है, वह रिकॉर्ड से निकाल दीजिए।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर: सभापति जी, जो प्रश्न पूछा गया है, जो मूल प्रश्न है, मैं बताना चाहता हूं कि ये मामले कई राज्यों में प्रलंबित हैं।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: सभापति जी, यह हो रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप बैठिए, आप अनुभवी हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री हंसराज गंगाराम अहीर: सभापति जी, ऐसे मामलों में ज्यादा विलंब न हो, इसलिए सरकार 2015 में जो अमेंडमेंट लाई थी, उसमें इसी बात को लेकर, पीड़ितों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए एक विशेष न्यायालय खोलने के साथ ही अनन्य विशेष न्यायालय खोलने की बात कही थी। कई राज्यों में इसकी स्थापना हो चुकी है। करीब 30 राज्यों में स्पेशल मजिस्ट्रेट न्यायालय खुल चुके हैं और 14 राज्यों में अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना हो चुकी है, ताकि इन मामलों का जल्दी निपटान हो सके। अगर कई राज्यों में ये मामले प्रलंबित होते हैं, तो इसमें राज्य सरकारों का बहुत ज्यादा रोल होता है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और इन मामलों का जल्दी निपटारा करना चाहिए।

SHRI D. RAJA: Sir, it is good that when this question is taken up, the Home Minister is present in the House. Sir, the Government has given the data with respect to the cases registered in crime against persons. The Government in a way admits that there are cases unregistered and it is a fact, there is an increase in atrocities, crimes, committed against

*Expunged as ordered by the Chair.

Dalits and *adivasis* in our country. Sir, my question is, the recent verdict of the Supreme Court two-judge bench has made the Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act literally redundant, ineffective and it has diluted the very essence of this Act.

MR. CHAIRMAN: Mr. Raja, question please.

SHRI D. RAJA: Sir, several Ministers of the Government and the Social Justice Minister are sitting here. He has made a statement that the Government will make all efforts to strengthen this Act, and there was a talk about the Ordinance to protect the interest of *dalits* and *adivasis.* Now, I am asking the Home Minister what this Government is going to do to strengthen this Act.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एस.सी./एस.टी. कम्युनिटी के लोगों को भारत के संविधान के द्वारा जो भी प्रोटेक्शंस उपलब्ध हैं, उन्हें न कोई संस्था छीन सकती है, न इस देश का कोई व्यक्ति छीन सकता है। यह मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने एस.सी./एस.टी. एक्ट में किसी भी प्रकार का dilution न हो पाए, इसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, किया है। यानी एस.सी./एस.टी. एक्ट को और अधिक strengthen करने के लिए, जो भी अमेडमेंट्स आवश्यक थे, हमारी सरकार ने एक्ट में वे सारे अमेंडमेंट्स करने का काम किया है। हमारी सरकार ने केवल एक्ट में ही अमेंडमेंट नहीं किया है, बल्कि रूल्स में भी अमेंडमेंट किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत के संविधान के द्वारा एस.सी./एस.टी. कम्युनिटी को जो भी प्रोटेक्शंस प्राप्त हैं, उन पर किसी भी सूरत में कोई सवालिया निशान न लग सके, मैं यह पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने एक्ट में भी 2015 में अमेंडमेंट किया है, रूल्स में भी अमेंडमेंट किया है। कुछ ऐसे मामले जो इसके पहले एक्ट में सम्मिलित नहीं थे, जैसे एस.सी./एस.टी. कम्युनिटी के लोगों को tease करना, यह करना, वह करना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सभी मामले हमने रूल्स में अमेंडमेंट करके शामिल कर दिए हैं।

सर, जहां तक conviction rate का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सहयोगी मित्र, श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया है। पहले स्पेशल कोर्ट्स हुआ करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि अब सिर्फ स्पेशल कोर्ट्स से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए और ऐसे 1094 एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स को establish करने का काम सरकार ने किया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स establish होने के बाद निश्चित रूप से conviction rate बढ़ेगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: I have to look after all the sections of the entire House.

DR. NARENDRA JADHAV: Sir, The situation is really grave, and I welcome the establishment of exclusive special courts. There is a question. To what extent has there been an increase in the number of crimes against the Scheduled Castes and Scheduled

Tribes women, and what is the conviction rate as far as the cases against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes women are concerned? And how does it compare with the general cases registered under the Indian Penal Code?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, इस संबंध में हमने पहले ही कहा कि हमने अपराधों में वृद्धि होने की बात नहीं मानी है। महिलाओं पर जो भी अपराध होते हैं या किसी और प्रकार के अपराध होते हैं, उनका एन.सी.आर.बी. के माध्यम से अलग से एन्ट्री या अलग से डाटा नहीं बनता है। यह बात सही है, जैसा हमारे मंत्री महोदय ने भी कहा है कि एस.सी./एस.टी. के प्रति सरकार बहुत संवेदनशीलता से काम करती है। ऐसे अपराध न बढ़ें, इसके लिए हम जो अमेंडमेंट लाए थे, उसके अनुसार न्यायालय भी बने हुए हैं और राज्य सरकारों को भी बार-बार advisory जारी की जाती है। ऐसे अपराध न बढ़ें, इसके लिए राज्य सरकारों को सूचना भेजी जाती है और राज्य सरकारों से काम करवाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अपराध न बढ़ें, सरकार इसके प्रतिं गभीर है।

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Thank you very much, Sir. I just join this discussion because I believe the complaint is not against any political party, किसी दल विशेष से complaint नहीं है, लेकिन पूरी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो मसले हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उनके खिलाफहिंसा routinize हो गई है। दिक्कत यह है कि अब यह सामान्य लगने लगा है और जब इस तरह की हिंसा सामान्य लगने लगती है, तब यह समाज के बीमार होने का लक्षण है। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा कि शायद 70 वर्ष में बहुत कुछ न हुआ होगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदली है।

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए।

प्रो. मनोज कुमार झाः सर, हम मंगल ग्रह पर चले गए हैं, लेकिन सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदली है। यह हम सभी के लिए कष्ट का विषय है, चाहे हम किसी भी दल में हों। आज चाहे हम सत्ता में हों या विपक्ष में हों, क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन सवाल वही रहेगा।

श्री सभापतिः मंत्री जी, क्या आप इसका जवाब देना चाहते हैं? स्थिति सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर commentary की है। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, प्लीज़।

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सर, मैला ढोने की प्रथा से लेकर हर चीज़ के प्रति सरकार गंभीर है। अगर कोई ऐसा गंदा काम करवाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने केलिए हम 2015 में जो अमेंडमेंट लाए हैं, उसमें इसके लिए प्रावधान किया हुआ है।

Hurdles faced by WTO

*4. SHRI T. RATHINAVEL: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the trade Ministers from various countries feel that World Trade Organisation is facing significant hurdles;